

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

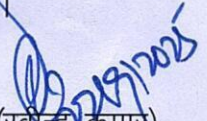
ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्रीमती प्रियंका कुमारी, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, घोसवरी, पटना (कोटि क्रमांक-495/2024, आपूर्ति सेवा) के विरुद्ध अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना के पत्रांक-1321 दिनांक-06.09.2025 द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का एस ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफार्म न्यू चैनल पर "घोसवरी प्रखंड बना भ्रष्टाचार का अड्डा MO प्रियंका कुमारी का विडियो वायरल" हेडलाईन से दो विडियो क्लिप अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के संज्ञान में आया, जिसमें श्रीमती कुमारी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार से अवैध राशि की उगाही के संदर्भ में वार्तालाप करते देखे जाने, दूसरे विडियो में श्रीमती कुमारी के पति विशाल बिभु द्वारा कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से मासिक तय कमीशन की वसूली करते हुए पाये जाने, घोसवरी प्रखंड के आम जनता द्वारा समर्पित संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन के माध्यम से शिकायत किया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर इनके संरक्षण में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा कम मात्रा में अनाज दिये जाने तथा दलाल के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के उल्लंघन किये जाने, लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता जैसे आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की गयी है।

इस प्रकार श्रीमती कुमारी के विरुद्ध अपने कर्तव्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अवैध राशि की उगाही किये जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्रीमती कुमारी के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्रीमती प्रियंका कुमारी, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, घोसवरी, पटना से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मद्दों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्रीमती कुमारी को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मद्दों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन 15 दिनों के अन्दर विभाग को प्राप्त नहीं होगा, तब निलंबन एवं विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

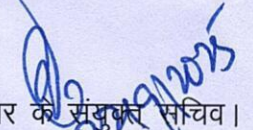

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-प्र08-गो0आ0(पटना)-10/2025 250/ खाद्य, पटना/दिनांक- 22-9-2025

प्रतिलिपि-1. श्रीमती प्रियंका कुमारी, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, घोसवरी, पटना, E-Mail ID : kumaripriyanka162@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0-यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।